न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 277 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 504**
दायर दिनांक :– 11.09.2025 **निर्णय दिनांक :– 13.01.2026**

1. गोविन्दकंवर पत्नी दुर्गादान जाति चारण निवासी बधाउड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री अनिरूद्व अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारों की औद्योगिक भूमि खसरा नम्बर 18 / 3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सरहद मौजा भोजो की बाप चक–2 पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज है तथा इसी कब्जा अनुसार ही मौके पर प्रार्थीया ने तारबंदी कर घेर रखा है तथा मकान इत्यादि बना रखे है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने कानाराम पुत्र खेताराम से खरीद की है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदारों द्वारा आपसी सहमति का बंटवाड़ा कर रखा है। उक्त बंटवाड़ा की पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित है। लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के ही प्रार्थीया के कब्जा एवं बंटवाड़ा की पुश्त पर संलग्न नजरी नक्शा से विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। इसलिये प्रार्थीया ग्राम भोजों की बाप चक–2 पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 18 / 3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि के भू–नक्शा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर मौके पर कब्जा एवं बंटवाड़ा की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा तथा लेआउट नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम भोजों की बाप चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 18 / 3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि गोविन्द कंवर पत्नी दुर्गादान जाति चारण के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार संपरिवर्तन सुदा भूमि के ले आउट प्लान एवं पूर्व पटवारी द्वारा जारी नक्शा की प्रति के विपरित

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत तरमीम की गई है। वर्तमान में माके एवं पूर्व में की गई तरमीम अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम भोजों की बाप चक नम्बर 2 पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप खसरा नम्बर 18/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की तरमीम के कब्जा से भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा के विपरित की गई है। पूर्व में उक्त खसरान् की तरमीम बंटवाड़ा के जरिये दर्ज की गई थी। उक्त खसरान् की वर्तमान तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया किया जाकर पटवारी हल्का जोड़ की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भोजों की बाप चक नम्बर 2 पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप खसरा नम्बर 18/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I. R.A.S.)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)